

V 196997

दिनांक-मंथ्यः वर्ष 19 2013-14

किससे प्राप्त हुआ श्री बेदी पासवान

किस मदे पिला - इरुडु - राम-पुत्र - पासवान

ग्राम + पो - तकिपा

बाना - यासाराम जिला - रोहताख

नामोकरन युद्ध

लोक सभा निर्वाचन 2014 12,500/-

34 यासाराम (अपना)

स्टाम्प के रूप में

कुल 12500/-

(बारह हजार पांच सौ मात्र)
(केवल रूप में)

(Signature)

प्राप्त करनेवाला पदाधिकारी ।

13/03/2014



[Faint, illegible handwritten text in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



बिहार सरकार
GOVERNMENT OF BIHAR

फॉर्म - II

कार्यालय का नाम

जिला : रोहतास, अनुमंडल : सासाराम, प्रखंड : सासाराम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या : 040718322151404572

दिनांक : 12/03/2014

प्रमाण-पत्र संख्या : C/14/05248

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी CHHEDI PASWAN Sri/Smt./Kumari CHHEDI PASWAN पुत्र/पुत्री/पत्नी LATE RAM CHANDRA PASWAN Son/Daughter/Wife LATE RAM CHANDRA PASWAN गाँव/शहर TAKIYA Village/Town TAKIYA पोस्ट ऑफिस TAKIYA थाना SASARAM अनुमंडलसासाराम जिला रोहतास राज्य बिहार दुसाध समुदाय के सदस्य है, जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचि (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं समय-समय-पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूचि में अनुक्रमांक 11 पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी CHHEDI PASWAN पुत्र/पुत्री LATE RAM CHANDRA PASWAN अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की है।

श्री/श्रीमती/कुमारी CHHEDI PASWAN एवं उनका परिवार गाँव/शहर TAKIYA प्रखंड सासाराम पोस्ट ऑफिस TAKIYA थाना SASARAM अनुमंडल सासाराम जिला रोहतास राज्य बिहार में निवास करते हैं।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)



12/3/14

09/4
48/2.40/17
18/3/17 R.O.
18/3/17

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(प्रारूप-2क)

(देखें नियम-4)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन..... 2014

नीचे भाग-I या भाग-II, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग-I

(मान्यत प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 34 साखाराम अ० ७१० संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम..... बेदी पासवान

पिता/ममता/प्रति का नाम..... स्व० रामचन्द्र पासवान

उसका डाक पता ग्राम+पो०- तडिया, धाना-साखाराम, जिला-रोहतास

उसका नाम 208 साखाराम विधान सभा।

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०- 95 में क्रम सं० 402 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम..... निर्मल सिंह है जो 34 साखाराम अ० ७१० संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (में समाविष्ट 204 मोहनपुर विधान सभा अ० ७१० विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०- 197 में क्रम सं० 434 पर प्रविष्ट है।

तारीख..... 18.03.2014

निर्मल सिंह
(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग-II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि लोक सभा के निर्वाचन के लिए
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र*
(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं०-..... में
क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर :-

क्र० सं०	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	घटक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्या	उस भाग में क्रम सं०			
1	2	3	4	5	6	7
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें: प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के दस निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं०-एस०ओ०५५८ (ई०) दिनांक ०९.०८.९६ द्वारा प्रतिस्थापित

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग-III

मैं, भाग-I/भाग-II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मैंने ६९ वर्ष की आयु पूरी कर ली है,
(नीचे ख (i) या ख (ii) में से जो लागू न हो उसे काट दें)

या

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी दल द्वारा खड़ा किया गया है जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपर्युक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है/मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ। (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) (ii) (iii) है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/ममता/प्रति का नाम ऊपर देवनागरी (हिंदी) (भाषा के नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और वि वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने हेतु चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं पुराथ **जाति/जन्मजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस राज्य में के अधिस्थित (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित
***जाति/जन्मजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए एक साथ निर्वाचन कराए जा रहे आम निर्वाचन/उप-निर्वाचनों में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्दिष्ट किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 18.03.2014

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

' जम्मू-कश्मीर, अंदमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र" शब्दों को काट दें।

+ यदि लागू न हो तो इस कड़िका को काट दें।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें।

** लागू न होने वाले शब्दों को काट दें।

@ जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा।

"मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से अभिप्रेत है निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा संबद्ध राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।

' लागू न होने वाले शब्दों को काट दें

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

भाग-III (क)

(अभ्यर्थी द्वारा मरा जाएगा)

क्या अभ्यर्थी को -

(I) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-8 क की

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए

सिद्धदोष ठहराया गया है; या

हैं/नहीं नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हैं" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) वाद/प्राथमिकी संख्या..... २०५

(ii) थाना(थाने)..... २०५ जिला(जिले)..... २०५

राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएँ) और उस/उन अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था।..... २०५

(iv) सिद्धदोष ठहराए जाने की तारीख (तारीखें)..... २०५

(v) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराने वाले न्यायालय..... २०५

(vi) अधिरोपित दंड कारावास की अवधि और/या जुर्माने की रकम का उल्लेख करें..... २०५

vii) कारावास से विमुक्ति की तारीख(तारीखें)..... २०५

(viii) क्या उपर्युक्त सिद्धदोष (सिद्धदोषों) के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण आवेदन दायर की गई थी.....

हैं/नहीं नहीं

(ix) दायर किए गए अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण-आवेदन(आवेदनों) की तारीख और विशिष्टियाँ..... २०५

(x) उस न्यायालय(न्यायालयों) के नाम जिसके/जिनके समक्ष अपील/पुनरीक्षण -आवेदन दायर किए हों.....

२०५

(xi) क्या उक्त अपील/पुनरीक्षण-आवेदन(आवेदनों) का निष्पादन हो गया है/अभी लंबित है.....

२०५

(xii) यदि उक्त अपील/पुनरीक्षण-आवेदन निष्पादित हो गए हो तो-?

(क) निष्पादन की तारीख(तारीखें):..... २०५

(ख) पारित आदेश (आदेशों) का स्वरूप:..... २०५

स्थान: ममुआ

तारीख: 18.03.2014

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

भाग-IV

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रमांक..... 09
यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में..... 18/03/14 (तारीख) को 2.40 P.M. (बजे)
अभ्यर्थी/प्रस्थानक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख..... 18/03/2014

रिटर्निंग आफिसर

*लागु न होने वाले शब्दों को काट दें।

भाग- V

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का
विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर
लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

भाग-VI

नामनिर्देशन पत्र के लिए पावती रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं० 09 का, जो 34-सासाराम (अ0जा0)
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 18/03/14
(तारीख)की 2.40 P.M. (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थानक द्वारा परिदत्त किया गया। सभी
नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 21/03/14 (तारीख) को 11:00 (बजे) समाहरणालय, कैमूर
(ममुआ) निर्वाची पदाधिकारी का कार्यालय प्रकोष्ठ में की जाएगी।

तारीख..... 18/03/2014

रिटर्निंग आफिसर



रज्या 1451 दिनांक 20.03.2014
में देवी पासवान
मिथा पूर्वक शपथ लेना कि मेरी जानकारी या
विश्वास में इस शपथ पत्र की सारी बातें सत्य हैं
जिनकी पहचान की कमला देवी
अधिकता में की है

20.03.14

काटरी सासावार

34. सासावार 310 गांव

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

में देवी पासवान **पुत्र/पुत्री/पत्नी सा. शा. 4/6 415010
आयु 58 वर्ष, जो 20.03.2014 तक, सा. शा. सासावार
मि. सा. सासावार निवासी

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ-

(1) मैं भारतीय जनता पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(* जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 208. सासावार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 95 के क्रम सं 402 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9934774400 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ... है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पिन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :



क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	ई. पाखवात	A		
1.	स्वयं	MHUPP 4803 F- AABHC 1864 K.HV	2012-13 2012-13	307238=00 126000=00
2.	प्रति-या पत्नी	ANPFD 7693 A	2012-13	593350=00
3.	आश्रित-1	AKSPP 0839 J	2012-13	757602=00
4.	आश्रित-2	ATPPP 0778 A	2012-13	6,00,000=00
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यारे	शून्य
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न]:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपील)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है : शून्य



यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	2,50,000=00	3,00,000=00	376094=00	442700=00	15,000=00
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	18,01,670=00	11,00,000=00	1,22,039=00	212,461=00	Nil
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	8,35,000=₹ AFTER Maturity	1,00,000=₹	5,00,000=₹	150,000=₹	NILL
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	NILL	NILL	3,00,000=₹	NILL	NILL
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	25-05-2008 INNOVA GR24P 9999-2008 NEW BARRA GR-24P 9999-2011	NILL	TYOTA GR15-2005 DR11AP 1351 ₹-6,00,000=₹	NILL	NILL
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	25gm Gold ₹-75,000=₹	100gm Gold & 500 gm silver 320,000=₹	10 gm Gold ₹-30,000=₹	NILL	NILL
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	NILL	NILL	NILL	NILL	NILL
(ix)	सामग्र कुल मूल्य	₹-38,61,670=₹	₹-10,20,000=₹	₹-19,28,133=₹	₹-15,000=₹	NILL

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा दो उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पत्नी या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(ii)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	मौजा-कनकेश्वर खता-201 कमर-92	मौजा-हिकरिया खता-31 कमर-2629+ 2635	मौजा-हिकरिया खता-31 कमर-2631 +2632	मौजा-हिकरिया खता-31 कमर-2629, +2633	मौजा-हिकरिया खता-31 कमर-2629, 2633
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.34 ही०	1.67 ही०	1.67 ही०	1.67 ही०	1.67 ही०
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	01-01-1999	01-01-1999	01-01-1999	01-01-1999
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	1,00,000=₹	₹-1,00,000=₹	₹-1,00,000=₹	₹-1,00,000=₹
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	Rs-748,100=0	Rs-1336,000=0	Rs-1336000=0	Rs-1336000=0	Rs-1336000=0
	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य श्री.जी.कुं.सि.सी.सी. 2011-15 श्री.जी.कुं.सि.सी.सी. 2011-15	शून्य	श्री.जी.कुं.सि.सी.सी. 2011-15 2011-15	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	0.83510	शून्य	0.21510	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	22.03.2002 28.07.2002	शून्य	22.03.2002	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	Rs-1048,000=0	शून्य	Rs-35000=0	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	Rs 69,10,000=0	शून्य	Rs-1575,000=0	शून्य
	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	श्री.जी.कुं.सि.सी.सी. 2011-15 12, 12-1	श्री.जी.कुं.सि.सी.सी. 2011-15 16 2011-15-85	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	65/41 वर्ग फुट	0.21510	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	65/41 वर्ग फुट	8000 वर्ग फुट	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य (नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	22.03.2002	22.03.2002	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	Rs-25,00,000=0	Rs-35000=0	शून्य	शून्य
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	पेपेरलपत्र	शून्य	शून्य	
(iv)	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	Rs-90,00,000=0	Rs-2575000=0	शून्य	शून्य
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	श्री.जी.कुं.सि.सी.सी. 2011-15 1105	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	0.08510	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	2800 वर्ग फुट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
स्वार्जित संपत्ति की दशा में	—	—	—	—	—	



	क्रय की तारीख	30-06-1982	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹-20,000=10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, सनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	अनुमानित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	₹-20,00,000=10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	2748000=10	17246000=10	3911000=08	2911000=10	₹-1236000=10

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समस्त रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित --3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	275,000=00 ₹-22,000, 10000 विपणन कर परतना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	संलग्न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



	धनकर शोध	२००५	२००५	२००५	२००५	२००५
	सेवाकर शोध	२००५	२००५	२००५	२००५	२००५
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	२००५	२००५	२००५	२००५	२००५
	विक्रयकर शोध	२००५	२००५	२००५	२००५	२००५
	कोई अन्य शोध	२००५	२००५	२००५	२००५	२००५
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	२००५	२००५	२००५	२००५	२००५
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्दलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	२००५	२००५	२००५	२००५	२००५

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं..... २००५

(ख) पति या पत्नी..... २००५

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

पटना विश्वविद्यालय से बी. ए. एवं समाज कल्याण

जे. स्नातकोत्तर स्तर - १९७४-८०

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं देवी पांडेय				
2	डाक का पता	24/11/1970 तकिया भवन-सासाराम जिला-शेखरपुर बिहार				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	34. सासाराम उपमंडल बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारतीय जनता पार्टी				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद् (i) उल्लिखित मामलों से मिन)	शून्य				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
7 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय			
	(क) अभ्यर्थी	AHUPP48032 AADHC1814C H-V-E.	2012-13 2012-13	307240=10 126000=10		
	(ख) प्रति या पत्नी	ANPPD76934	2012-13	593350=60		
	(ग) आश्रित	AKSPF00397 ATPPF0778A NIL	2012-13 2012-13 NIL	757602=60 600000=60 NIL		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जगम आस्तियां (कुल मूल्य)	38,61,670=00	18,20,000=00	1928133=00	75000=00	NIL
ख	स्थावर आस्तियां	2748000=00	1,72,46000=00	3911000=00	2911000=00	1336000=00



I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	20,000=₹	3648000=₹	135000=₹	135000=₹	1,00,000=₹
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	5,00,000=₹	शून्य	10,00,000=₹	शून्य	शून्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	निम्नलिखित	निम्नलिखित	निम्नलिखित	निम्नलिखित	निम्नलिखित
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	15,00,000=₹	17246000=₹	3911000=₹	2911000=₹	1336000=₹
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	748,000=₹	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व	निम्नलिखित	निम्नलिखित	निम्नलिखित	निम्नलिखित	निम्नलिखित
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	275,000=₹	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i) सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : पटना विश्वविद्यालय से B.A एवं समाज कल्याण में स्नातकोत्तर सन् - 1978-80 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)					



सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख: 20.03.2014 को सत्यापित किया गया।



I identify the deponent/Executant who has signed/L.T./R.T.I. in my Presence

Kamal Prasad Singh 20.3.2014

Advocate, Sasaram (Rohtas)

अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें हैं/हैं 9937774900

मेरा ई-मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है 344

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है CMHEDI.PASWAN.COM

APPNDIX VII C

STATEMENT OF SUMMARY OF PARTICULARS/ INFORMATION FURNISHED IN AFFIDAVITS

(CHAPTER III PARA 4.5(3.1))

No. & Name of Constituency: 34 SASARAM S.C

S.No	Particulars	Description
1	Candidate's Name	CHHEDI PASWAN
2	Father's / Mother's / Husband's Name	LATE RAMCHANDRA PASWAN
3	Age	58 years
4	Educational Qualification	M.A.
5	Convicted (yes)/(no) if yes, then list of section (s)	NO
6	Cases Pending (yes)/(no) if yes, then list of Sections (s)	NO
7	Assets Moveable Immovable	Rs 3861670=00 and 0.42 STD
8	Liabilities / Overdues of Public Financial Institutions and Government dues. ✓	Rs 275000=00 only

Signature of Candidate

Date: 30.03.2014

PLACE: Sasaram



GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.

BIHAR

00000

बिहार
JUDICIAL

शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप

0000100

15.5.2014

रत के संविधान का अनुच्छेद 173 (क)

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला

BIHAR

5243 2616783

..... जो लोक सभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में उसका नाम

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री/श्रीमती..... श्री. देवी. पांडवान
आज दिनांक..... 18 माह..... 03 2014 को निर्वाचन पदा-साधारण संसदीय
(क) स्थान) पर..... बजे मेरे समक्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा र प्रतिज्ञान किया।

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम पदनाम और मुहर

शपथ-प्रपत्र की प्राप्ति के लिए प्रमाण-पत्र
(प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को दिया जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि लोक सभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी..... श्री. देवी. पांडवान
..... (नाम) ने (दिनांक)..... 18/03/14 को 24
बजे मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथा अपेक्षित शपथ ली/प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए।

दिनांक :-

(प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम पदनाम और मुहर

Check List of documents in connection with filing of nonination

Name of Constituency:

Name of candidate:

Date and time of filing nomination paper:

Sl. No. of nomination paper

S.No	Documents	Whether filed (write yes/no) (if there is any defect/ shortcoming in the documents. the some should be specified)
1	Affidavit in Form 26.... (a) Whether all columns are filled up. (b) if not, which are blank column(s) (Please specify): (c) Whether the affidavit is sworn before an Oath Commissioner or Magistrate of First Class or before a Notary Public.	
2	Certified extract of electoral roll (when candidate is an elector of a different constituency)	
3	Forms A and B (applicable in the case of candidates set up by political parties.	
4	Copy of caste certificate (if the candidate claims to belong to SC/ST)	
5	Security deposit (whether made)	
6	Oath / affirmation (whether taken)	

The following documents which have not been filed should be filed as indicated below:

(a).....should be filed latest by

(b) above mentioned columns in the affidavit in Form 26 have been lert blank. You must submit a fresh Affidavit will columns duly filled up before the commencement of scrutiny of nominations, failing which the nomination paper will be liable to be rejected.

(c)should be filed latest by.....

Received.

.....

.....

Signature of RO/ ARO

(Signature of candidate)

Date;

PLACE:

N.B

1. The affidavit in Form 26 and Forms A &B have to be filed latest byP.M on the last date of filing nominations.
2. The nomination paper will be rejected if a candidate fails to fill the blanks in Form 26 even after reminder by RO by the hour fixed for scrutiny of nomination paper.
3. Oath has to be taken after filing nomination paper and before the date fixed for scrutiny.
4. Certified extract of electoral roll can be filed up to the time of scrutiny.
5. Security deposit should be made either before filing of nomination paper or at the time of filing of nomination paper. Therefore, there is no question of issuing notice for making the security deposit.

REQUEST FORM

For contact details of candidates standing in

Parliamentary/ Assembly Elections. 2009 - 2014

- 1- No. and Name of Parliamentary/ Assembly Constituency: 34, SASARAM S.C.
- 2- Full name of candidate : CHHEDI PASWAN
- 3- Sex : Male
- 4- Age : 58 years
- 5- Party : Bhartiya JANTA party.
(mention independent if not set-up by political party) :

- 6- City/ area of native place : Takiya Bazar Sasaram
Please enter your contact details below :
- 7- Full address : Vill+p.o. Takiya Sasaram
Dist - Rohitas Bihar
- 8- Landline phone no. :
- 9- Mobile phone no. : 9934774400
- 10- Email address (if any) :
- 11- Website address (if any) :

अनुसूची 14 - फॉर्म नं० 511.

V196997

क्रि.सं.संख्या..... नं० 19-2013-14

नियमों प्राप्त हुआ श्री. देवी पासवान

पिता - स्व. रामचंद्र पासवान

ग्राम - पो. - तड़िया

धाना - साकाराम जिला - रोहतास

नामोक्त युद्ध

रु० १०

लोक सभा निर्वाचन 2014 12500/-

34 साकाराम (म.प.नं.)

द्वारा के रूप में.....

रु० 12500/-

(बारह हजार पांच सौ मात्र)

(Signature)

प्राप्त करनेवाला पराधिपति।

13/03/2014



बिहार सरकार

GOVERNMENT OF BIHAR

फॉर्म - II

कार्यालय का नाम

जिला : रोहतास, अनुमंडल : सासाराम, प्रखंड : सासाराम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

आवेदन संख्या : 040718322151404572

दिनांक : 12/03/2014

प्रमाण-पत्र संख्या : C/14/05248

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी CHHEDI PASWAN Sri/Smt./Kumari CHHEDI PASWAN पुत्र/पुत्री/पत्नी LATE RAM CHANDRA PASWAN Son/Daughter/Wife LATE RAM CHANDRA PASWAN गाँव/शहर TAKIYA Village/Town TAKIYA पोस्ट ऑफिस TAKIYA थाना SASARAM अनुमंडल सासाराम जिला रोहतास राज्य बिहार दुसाध समुदाय के सदस्य है, जो कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचि (मोडिफिकेशन) 1956 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 एवं समय-समय-पर यथासंशोधित अधिनियम के अंतर्गत बिहार राज्य की सूचि में अनुक्रमांक 11 पर अंकित है अतः श्री/श्रीमती/कुमारी CHHEDI PASWAN पुत्र/पुत्री LATE RAM CHANDRA PASWAN अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का/की है।

श्री/श्रीमती/कुमारी CHHEDI PASWAN एवं उनका परिवार गाँव/शहर TAKIYA प्रखंड सासाराम पोस्ट ऑफिस TAKIYA थाना SASARAM अनुमंडल सासाराम जिला रोहतास राज्य बिहार में निवास करते हैं।


स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)



बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या:- पुस्त0-13/2009 565/वि0स0 ।

प्रेषक,

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह
उप सचिव,
बिहार विधान सभा पटना ।

सेवा में,

श्री छेदी पासवान
माननीय सदस्य
बिहार विधान सभा पटना ।

पटना, दिनांक 10 मार्च, 2014 ई0 ।

विषय:- मांग रहित प्रमाण पत्र के संबंध में ।

महाशय,

आपके पत्र दिनांक 6.3.2014 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि आपके नाम बिहार विधान मंडल पुस्तकालय की कोई पुस्तक लंबित नहीं है ।

विश्वासभाजन

नरेन्द्र कुमार सिंह
(नरेन्द्र कुमार सिंह)

उप सचिव

बिहार विधान सभा पटना ।

नरेन्द्र
08 03 14

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र सं०-3 लेखा-204/10- 837/वि०स० ।

प्रेषक,

श्री अवधेश कुमार गिरि,
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

श्री/श्रीमती छेदी पासवान,

सदस्य/सदस्या, बिहार विधान सभा, पटना ।


क्षेत्र सं०-204

पटना, दिनांक- 11/3/14

विषय:- दूरभाष एवं मोबाईल संबंधी माँग रहित/सहित प्रमाण-पत्र के संबंध में ।

निदेशानुसार आपके पत्रांक-704अ. का दिनांक 6.3.14 के संदर्भ में सूचित करना है कि सभा सचिवालय द्वारा पत्र निर्गत की तिथि तक दूरभाष एवं मोबाईल के मद में आपके पास अंके- अबतक कार्यालय अभिलेख के अनुसार कोई ~~सर्वप्रमाण~~ है। बकाया नहीं है ।

विश्वासभाजन


अवर सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना ।

जवीर
11/3/14

विद्युत आपूर्ति प्रमंडल

डाक बंगला, पेसू, पटना

प्रमाणित किया जाता है कि विद्युत विपत्र उपभोक्ता संख्या-118520, जो माननीय छेदी पासवान, विधायक के नाम है उक्त विपत्र पर माह फरवरी-2014 तक कुल राशि 53,688.00 रूपया लम्बित है, जिसके भुगतान हेतु बिहार विधान सभा से अनुरोध किया गया है। उक्त भुगतान बिहार विधान सभा द्वारा किया जाना है।



सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व)

सहायक विद्युत अभियन्ता (राजस्व)
विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, डाकबंगला

बिहार विधान-सभा सचिवालय
:

पत्र सं०: 10 लेखा-3/2011-759 /वि०स०।

प्रेम्क,

श्री प्रदीप कुमार राय,
अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

सेवा में,

श्री मेहदी पासवान,
स० वि०स०, क्षेत्र संख्या-204
आवास-पुराना कारा अधीक्षक आवास
छज्जुबाग, पटना ।

पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2014 ई०।

विषय:- मोटरकार अग्रिम का माँग रहित/सहित प्रमाण- पत्र के संबंध में ।
महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि 15 वीं विधान सभा की अवधि में आपको स्वीकृत मोटरकार अग्रिम अंके 8,00,000/- आठ लाख रूपया में से आपके वेतन विपत्र माह सितम्बर 2011 से फरवरी, 2014 तक 30 तीसरी मासिक किस्तों में अंके 17,500/- सत्रह हजार पाँच सौ रूपया प्रतिमाह की दर से कुल अंके-5,25,000/- पाँच लाख पच्चीस हजार रूपया मात्र का वसूला जा चुका है ।

कुल मूलधन अंके 8,00,000=00 आठ लाख रूपया में से अंके 5,25,000=00 पाँच लाख पच्चीस हजार रूपया समायोजन के पश्चात् अंके 2,75,000=00 दो लाख पचहत्तर रूपया मूलधन के साथ-साथ देय तूद भी आपके जिम्मे बकाया रह गया है ।

उल्लेखनीय है कि तूद की गणना निर्धारित कटौती के पश्चात् महालेखाकार कार्यालय, बिहार के द्वारा की जाती है ।

विश्वासभाजन

प्रदीप
14.3.14

श्री प्रदीप कुमार राय

अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना ।

जील
14.3.14

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय कर प्रमण्डल भवन निर्माण विभाग पटना

पत्रांक -

दिनांक -

प्रेषक -

कार्यपालक अभियन्ता
कर प्रमण्डल, २०१० वि०
पुनर्वाहक, पटना-800023

सेवा में

अवर सचिव (लेखा)
खिलाफ विभाग राभी
पटना

विषय - चुकता प्रमाण पत्र निर्गम करने के संबंध में

संदर्भः उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री
द्वैदी पालवान माननीय पूर्व मंत्री खिलाफ पटना द्वारा दायित्व
कारकारी अर्थात् पुराना जैत अधीन आवाक पत्रा (कप्लुका)
का दिनांक 28.02.14 तक आवाक दिग्गज एवं निर्गम कर ही राशि
जमा करने के उपरान्त उक्त निर्गम नडे का चुकता प्रमाण
पत्र निर्गम दिया जागा है श्री पालवान उक्त अर्थात् में आवाक निर्गम

खिलाफ भाजन

है।

कार्यपालक अभियन्ता
कर प्रमण्डल, २०१० वि०
पुनर्वाहक, पटना-800023

आवाक - 936

दिनांक - 12/3/14

प्रतिलिपि - श्री द्वैदी पालवान माननीय पूर्व मंत्री को प्रचनार्थ
एवं आवश्यक कारक हेतु (आर्किव)

12/3/14
कार्यपालक अभियन्ता
कर प्रमण्डल, २०१० वि०
पुनर्वाहक, पटना-800023

FORM A

COMMUNICATION WITH REGARD TO AUTHORISED PERSONS TO INTIMATE NAMES OF CANDIDATES SET UP BY RECOGNISED NATIONAL OR STATE POLITICAL PARTY OR REGISTERED UN-RECOGNISED POLITICAL PARTY.

[See paragraph 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968]

To,

1. The Chief Electoral Officer
 *Bihar* (State/Union Territory)
2. The Returning Officer for the
 *34 Lagarawan (S.C.)* Constituency.

Subject: General/Bye Elections to *House of parliament*
 from *34 Bihar* (State/Union Territory)-
Allotment of Symbols-Authorisation of persons to intimate names of candidates.

Sir,

In pursuance of paragraph 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby communicate that the following person(s) has/have been authorised by the Bharatiya Janata Party, which is National Party in the State of *Bihar* to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the election cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the Party	District(s)/area(s) constituency/ constituencies in respect of which he has been authorised
1	2	3
1. <i>Mangal Pandey</i> 2. 3. .	<i>state president</i> of <i>B. J. P.</i> <i>Bharatiya Janata Party</i> .	<i>Bihar</i>

2. The specimen signatures of the above mentioned person(s) so authorised are given below :-

1. Specimen signatures of Shri Mangal Pandey.....
(i) [Signature]..... (ii) [Signature].....
(iii) [Signature].....
2. Specimen signatures of Shri
(i) (ii)
(iii)
3. Specimen signatures of Shri
(i) (ii)
(iii)

Yours faithfully,

[Signature]

Place New Delhi.....

Date 14.03.2014

(RAJNATH SINGH)
President
Bharatiya Janata Party



(Seal of the Party)

N.B. :

1. This must be delivered to the Returning Officer and the Chief Electoral Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer(s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.

FORM B

**NOTICE AS TO NAME OF CANDIDATE SET UP BY
THE POLITICAL PARTY**

[See paragraphs 13(b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols
(Reservation and Allotment) Order 1968]

To

The Returning Officer for the

.....34 SASARAM S.C......Constituency.

Subject: General/Bye Elections toLOK SABHA.....
from34, SASARAM (S.C.)..... (Name of the Constituency)
inBIHAR..... (State/Union Territory)--setting
up of candidate.

Sir,

In pursuance of paragraphs 13(b), (c) and (e) and 13A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf of Bharatiya Janata Party--


- (i) that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and
- (ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate, at the ensuing general/bye election from this constituency :

Name of the constituency	Name of the approved candidate	Father's/ Mother's/ Husband's name of approved candidate	Postal address of approved candidate	Name of the substitute candidate who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate.	Father's/ Mother's Husband's name of substitute candidate	Postal address of substitute candidate
1	2	3	4	5	6	7
34 SASARAM S.C.	CHHEDI PASWAN	LATE RAMCHANDRA PASWAN	Takiya Bazar SASARAM			

Contd. 2

- *2. The notice in Form 'B' given earlier in favour of Shri/Smt./ Sushri as party's approved candidate Shri/Smt./Sushri as Party's substitute candidate is hereby rescinded.
- ¹3. It is certified that each of the candidates whose name is mentioned above is a member of this political party and his name is duly borne on the rolls of members of this party.

Yours faithfully,


(Mangal Pandey)
(Name and Signature of the
Authorised person of the Party)

Place

Date ..14.03.2014



* Score off, if not applicable.

N.B.:

1. This must be delivered to the Returning Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
2. Form must be signed in ink by the office bearer(s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
3. No form transmitted by fax shall be accepted.
4. Para 2 of the Form must be scored off, if not applicable, or must be properly filled, if applicable.

REQUEST FORM

For contact details of candidates standing in

Parliamentary/ Assembly Elections. 2009

1- No. and Name of Parliamentary/ Assembly Constituency:	34 SASARAM S.C.
2- Full name of candidate	: CHHEDI PASWAN
3- Sex	: male
4- Age	: 58 years
5- Party	: <u>Bhartiya Janta party</u>
(mention independent if not set-up by political party)	:
6- City/ area of native place	: Takiya Bazar, Sasaram
Please enter your contact details below	:
7- Full address	: Vill+P.O. Takiya, P.S. Sasaram
8- Landline phone no.	: Dist - Rohitas, Bihar
9- Mobile phone no.	: 9934774400
10- Email address (if any)	: NOT
11- Website address (if any)	: NOT